समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

जिला संयुक्त आदेश

अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक के0-113 दिनांक 17-03-2017 के आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2017 की व्यवहृत एवं बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मधेपुरा जिला में रास बिहारी हाई स्कूल, मधेपुरा एवं एस0एन0पी0एम0+2 हाई स्कूल, मधेपुरा को मूल्यांकन केन्द्र निर्धारित किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के विज्ञप्ति संख्या-37/2017 द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2017 के व्यवहृत बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन तिथि परिवर्त्तन से संबंधित सूचना के आलोक में बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य दिनांक 01-04-2017 से प्रारंभ होगी।

वर्णित स्थिति में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2017 की उत्तर पुस्तिकाओं का पूर्ण स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में मूल्यांकन कार्य के संचालन हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों /पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति निम्न प्रकार से की जाती है :-

क्र0	मूल्यांकन केन्द्र का नाम	सशस्त्र बल	प्रतिनियुक्त स्टेटिक दण्डाधिकारी का नाम	प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी का नाम	मूल्यांकन केन्द्र का वरीय प्रभार
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	रास बिहारी हाई स्कूल, मधेपुरा	1-4	श्री ओम प्रकाश, डेयरी फील्ड ऑफिसर, मधेपुरा- 9835268746	स0अ0नि0 राहत हुसैन खाँ, मधेपुरा थाना- 8877496815	श्री अजय कुमार सिंह, सहायक निदेशक, उद्यान, मधेपुरा- 9431818979
2	एस0एन0पी0 एम0+2 हाई स्कूल, मधेपुरा	1-4	श्री अनिल कुमार झा, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मधेपुरा- 9430427976	स0अ0नि0 सत्येन्द्र प्रसाद एस0टी0/ एस0सी0 थाना- 9934433908	श्री आनन्द कुमार चौधरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा- 8083451753

परिचारी प्रवर, मधेपुरा उक्त मूल्यांकन केन्द्र पर यथानिदेशित सशस्त्र बल /पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे एवं उन्हें निदेशित करेंगे कि मूल्यांकन की तिथि को 08:00 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रुप से मूल्यांकन केन्द्र पर पहुँचकर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे मूल्यांकन की तिथि को 08:00 बजे पूर्वाह्न निश्चित रुप से पहुँचकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2017 की व्यवहृत एवं बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक के0-113 दिनांक 17-03-2017 द्वारा दिये गये निम्नवत् निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

1- परीक्षा की तरह उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के कार्य को भी पूर्ण स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में गुणवतापूर्ण ढंग से सम्पादित कराना अपेक्षित है।

2- उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी के नियंत्रण एवं अनुश्रवण में होगा।

3- मूल्यांकन केन्द्र में पूर्वाहन 09:30 बजे तक मूल्यांकन कार्य में संलग्न सभी कर्मियों का प्रवेश अपेक्षित है। उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूर्वाह्न 10:00 बजे से प्रारंभ होगा, जो अपराह्न 05:00 बजे तक अथवा उसके बाद के अवधि तक (आवश्यकतानुसार) चलेगा। प्रवेश के बाद मूल्यांकन अवधि में मूल्यांकन कार्य में संलग्न प्रधान परीक्षक /परीक्षक आदि को मूल्यांकन केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। उनके चाय-पानी की व्यवस्था मूल्यांकन केन्द्र के भीतर ही रहेगी, जिसे जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा सुनिश्चित करायेंगे।

4- उक्त कार्य हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर मूल्यांकन अवधि के लिए प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस बल किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश मूल्यांकन केन्द्र एवं उसके परिसर में नहीं होने देंगे। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश दण्डनीय होगा। मूल्यांकन केन्द्र के 200 गज के परिधि में मूल्यांकन कार्य में संलग्न कर्मियों को छोड़कर शेष व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित करने हेतु धारा-144 लागू करने का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा जारी करेंगे।

5- प्रधान परीक्षक एवं परीक्षक उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पूर्ण सजगता बरतते हुए पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता व निष्क्रियता वांछनीय नहीं होगी। यदि कोई प्रधान परीक्षक /परीक्षक या अन्य कोई कर्मी मूल्यांकन केन्द्र के इधर-उधर अनावश्यक गलत रूप से घूमते या अनधिकृत रूप से बात-चीत करते हुए पाये जायेंगे, तो उन्हें कार्य मुक्त कर दिया जाएगा।

6- मूल्यांकन से संबंधित कदाचार में लिप्त पाये जाने पर संबंधित कर्मी के विरूद्ध आनुशासनिक व कानूनी, दोनों कार्रवाई की जाएगी। ऐसा होने पर उनके विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 तथा भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

7- मूल्यांकन केन्द्र के बाहर, बरामदे में, मूल्यांकन कक्ष एवं बज्रगृह (जहाँ उत्तरपुस्तिकायें रखी जायेंगी) में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाना सुनिश्चित किया जाय, जिसके लिए आवश्यक राशि समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि मूल्यांकन कक्ष में सी0सी0टी0वी0 कैमरे इस प्रकार से लगाये जायें कि उनमें मूल्यांकन कार्य में संलग्न प्रधान परीक्षक /परीक्षक आदि व्यक्तियों की गतिविधियाँ तो कैमरे की नजर में रहे, किन्तु उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों द्वारा प्रश्नोत्तर पर दिये जा रहे अंक तथा उत्तरपुस्तिकाओं पर चस्पा किये हुए बारकोड स्टीकर्स का क्लोज अप चित्र कैमरे में कैद नहीं हो।

8- मूल्यांकन केन्द्र के बाहर एवं जिन कमरों में मूल्यांकन कार्य सम्पादित होगा तथा उत्तर पुस्तिका आवंटन से संबंधित बज्रगृह में सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापित करने तथा कैमरे का प्रसारण स्थल हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में क्रमशः प्रधानाध्यापक, रास बिहारी हाई स्कूल, मधेपुरा एवं प्राचार्य, एस0एन0पी0एम0+2 हाई स्कूल, मधेपुरा के वेश्म में सी0सी0टी0वी0 कैमरा प्रसारण स्थल चिन्हित किया जाता है, जिसकी निगरानी हेतु क्रमशः श्री ओम प्रकाश डेयरी फील्ड ऑफिसर, मधेपुरा एवं श्री अनिल कुमार झा, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मधेपुरा की प्रतिनियुक्ति प्रभारी दण्डाधिकारी के रूप में की जाती है। जिला नजारत उप समाहर्त्ता,

मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे मूल्यांकन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व मूल्यांकन केन्द्र पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापित कराना सुनिश्चित करेंगे।

9- मूल्यांकन केन्द्रों पर कार्य करने वाले /प्रतिनियुक्त कर्मचारी एवं पदाधिकारी में मात्र मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं स्टैटिक दण्डाधिकारी को ऑफिसियल कार्य के लिए मोबाईल फोन के प्रयोग की अनुमति होगी। शेष सभी लोग /प्रधान परीक्षक तथा परीक्षक मोबाईल फोन, किसी तरह का कागज–पूर्जा अपने साथ मूल्यांकन केन्द्र पर नहीं लायेंगे। वे अपने परिचय पत्र के साथ प्रवेश करेंगे एवं कलम तथा परिचय पत्र के अतिरिक्त कोई भी सामग्री मूल्यांकन केन्द्र पर नहीं लायेंगे। यदि कोई अन्य सामग्री उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान उनके पास से पायी जायेगी, तो वे नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

10- मूल्यांकन का कार्य केन्द्रवार एवं व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं पर चस्पा किये गये बारकोड स्टिकर्स पर अंकित संख्या के बढ़ते क्रम में लगातार किया जायेगा। मूल्यांकन करने के पश्चात् परीक्षक द्वारा व्यवहृत उत्तरपुस्तिका पर प्रदत अंक की प्रविष्टि ओ0एम0आर0 अवार्ड–शीट (मार्क्स फ्वायल) में सावधानीपूर्वक उत्तर पुस्तिका के बारकोड स्टिकर्स पर अंकित क्रम संख्या के अनुसार अवार्ड–शीट में अंकित बारकोड स्टिकर्स की संख्या के सामने किया जायेगा।

11- मूल्यांकन के पूर्व सभी परीक्षकों, प्रधान परीक्षकों एवं सभी संबंधितों को मूल्यांकन से संबंधित सभी नियमों की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से उपलब्ध करायेंगे और उन्हें स्पष्ट रूप से निदेश देंगे कि निष्पक्ष भाव से मूल्यांकन करना उनका दायित्व है और इस कार्य में उन्हें अनिवार्य रूप से सहयोग करेंगे। मूल्यांकन कार्य की पवित्रता को बनाये रखने के लिए विभिन्न स्तर से जाँच करायी जायेगी, जिसमें वे जाँच दल /पदाधिकारियों को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

12- मूल्यांकन केन्द्र की व्यवस्था एवं मूल्यांकन कार्य का सतत् निरीक्षण करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा संयुक्त रूप से प्रतिनियुक्त किया जाता है।

13- सभी परीक्षक ध्यानपूर्वक सावधानी के साथ बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे ताकि परीक्षार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरुप सही अंक प्राप्त हो।

14- मधेपुरा जिलान्तर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान को इस आशय का निदेश देने की व्यवस्था करेंगे ताकि विद्यालय /महाविद्यालयवार एवं विषयवार परीक्षकता हेतु नियुक्त प्रधान परीक्षकों /परीक्षकों को संबंधित मूल्यांकन केन्द्रों पर मूल्यांकन कार्य हेतु ससमय विरमित किया जाना सुनिश्चित हो सके। इस कार्य को जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा सुनिश्चित करायेंगे।

15- उपर अंकित मूल्यांकन केन्द्रों पर बारकोडेड व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान समुचित सुरक्षा एवं स्वच्छ मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी /नियमित स्टैटिक आरक्षी बल यह सुनिश्चित करेंगे कि मूल्यांकन की अवधि में केन्द्र के बाहर अनावश्यक भीड़ नहीं हो तथा पैरवी वालों एवं अवांछित तत्वों पर पूरी तरह रोक लगे। मूल्यांकन कार्य में किसी भी गड़बड़ी करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 तथा भारतीय दण्ड संहिता के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाय।

(1) परिचय पत्र :-

➢ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा नियुक्त प्रधान वीक्षक /वीक्षक को उनके नियुक्ति पत्र के आधार पर परिचय पत्र प्रभारी दण्डाधिकारी मूल्यांकन केन्द्र द्वारा निर्गत किया

जायेगा। उसी प्रकार मूल्यांकन कार्य में संलग्न कर्मियों का परिचय पत्र मूल्यांकन निदेशक रास बिहारी हाई स्कूल, मधेपुरा एवं एस०एन०पी०एम०+2 हाई स्कूल, मधेपुरा की अनुशंसा के आधार पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी द्वारा ही निर्गत किया जायेगा।

(2) केन्द्राधीक्षक का दायित्व

➢ केन्द्राधीक्षक वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2017 की उत्तर पुस्तिकाओं का स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मूल्यांकन कराना सुनिश्चित करेंगे एवं मूल्यांकन के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त दिशा-निर्देश से सभी वीक्षकों को भली-भाँति अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से उक्त मूल्यांकन कार्य हेतु अपने सुविधानुसार तिथि एवं समय निर्धारित कर मूल्यांकन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी प्रधान वीक्षक /वीक्षकों की समन्वयक आदि की एक ब्रीफिंग मीटींग बुलायेंगे।

➢ जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि मूल्यांकन केन्द्र पर मूल्यांकन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में व्यवहृत एवं बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के गुणवतापूर्ण मूल्यांकन सम्पादित कराने के लिए सभी व्यवस्था यथासमय सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

27.3.17

(विकास कुमार)
पुलिस अधीक्षक,
मधेपुरा।

(मो0 सोहैल)
जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।

27/3/17

ज्ञापांक 768 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 27-3-17

प्रतिलिपि : पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा /आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : अध्यक्ष /सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /श्री मुकेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा / केन्द्राधीक्षक, रास बिहारी हाई स्कूल, मधेपुरा /एस०एन०पी०एम०+2 हाई स्कूल, मधेपुरा /परिचारी प्रवर, मधेपुरा /थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।

27/3/17